बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

संकल्प

संख्या–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 / पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

विषयः त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति।

त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणवद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मांग के आलोक में पदासीन रहते हुए आपराधिक या हिंसात्मक घटनाओं एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों / जिला परिषद् के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख / उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया / उप–मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच / उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को पदासीन के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में 1,00,000.00 रु० (एक लाख रु०) अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को दिया जायेगा।

2. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

3. यह दिनांक 09.12.2014 से प्रवृत्त होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 / पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 /   पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 /   पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 /   पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8प / वि–5–131 / 2013 / पं०रा० / 9641 /   पटना, दिनांक 08 / 12 / 2014

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

समाहरणालय, मधेपुरा।
(पंचायत कार्यालय)

ज्ञापांक 747 /पं०,   मधेपुरा, दिनांक 11-12-14/2014

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में सम्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं दिनांक 09.12.2014 को या उक्त तिथि के बाद ग्राम कचहरी के वैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों जिनकी मृत्यु पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना के क्रम में हुई है अथवा यदि भविष्य में ऐसे मामले आते हैं तो उनकी सूची अपनी अनुशंसा के साथ जिलाधिकारी, महोदय के समक्ष अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।